

Instructions for Online Application for Wholesale Licence जिला स्तर पर थोक अनुज्ञापन हेतु आनलाइन आवेदन प्रक्रिया

1. This process is for CL2 – District Wholesale license for Country Liquor; FL2 – District Wholesale License for IMFL; FL2B – District Wholesale license for Beer and LAB. This process is not for renewal of any license- for that licensee has to fill the renewal application from their log-in dashboard.

यह प्रक्रिया देशी मदिरा के थोक अनुज्ञापन (CL 2), विदेशी मदिरा के थोक अनुज्ञापन (FL 2) या बीयर के थोक अनुज्ञापन (FL 2B) के नए लाइसेंस हेतु वैध है। किसी भी लाइसेंस के नवीनीकरण हेतु अनुज्ञापी को अपने पोर्टल के लाग इन से नवीनीकरण का आवेदन भरना होगा।

2. Applications for Wholesale can be filled by Individuals or Firms(where one co-applicant is also part of the firm) and in case of CL2, the applicant may be a Distillery of U.P.

थोक अनुज्ञापन हेतु आवेदन किसी व्यक्ति या फर्म (जिसमें एक सह-आवेदक भी है) द्वारा किया जा सकता है। देशी मदिरा के गोदाम CL 2 हेतु प्रदेश की किसी आसवनी द्वारा भी आवेदन किया जा सकता है।

3. At the time of Application, first applicant has to provide whether the Application is being filled as Individual, Firm or on behalf of a Distillery. In case of Distillery, applicant has to select any Distillery from the list of Distilleries registered onto the portal, else in case of Individual or Firm applicant has to provide the PAN of the first applicant.

आवेदन करते समय, आवेदक को सबसे पहले यह बताना होगा कि आवेदक व्यक्तिगत, फर्म या आसवनी हेतु आवेदन करना चाहता है। यदि आवेदक किसी आसवनी हेतु आवेदन करना चाहता है तो उसको पोर्टल पर पंजीकृत आसवनियों में से किसी एक को चुनना होगा अन्यथा प्रथम आवेदक का PAN भरना होगा।

4. In case the details against the entered PAN is already registered on portal, it shall be displayed and in case of Distillery, the details of the distillery shall be displayed, which can not be altered.

यदि आवेदक के PAN पोर्टल पर पहले से पंजीकृत है तो आवेदक का पूर्व पंजीकृत सूचना स्वतः प्रदर्शित हो जावेगी अन्यथा आवेदक को पूर्ण सूचना भरनी होगी। आसवनी द्वारा आवेदन के समय आसवनी की पूर्व पंजीकृत सूचना स्वतः प्रदर्शित होगी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

5. Any Applicant can file only one application for a one type of wholesale (CL2/FL2/FL2B) in one District.

किसी भी आवेदक द्वारा किसी भी जिले में थोक गोदाम के किसी एक प्रकार का केवल एक आवेदन किया जा सकता है।

6. After submitting the Application form, a SMS shall be sent to the applicant providing the password for the said application. Using this password applicant can opt for the login against an application number to submit the documents and fee.

आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त, आवेदक के मोबाइल पर पासवर्ड SMS द्वारा भेज दिया जायेगा। अपने आवेदन नम्बर के साथ इस पासवर्ड का उपयोग करके आवेदक आवेदन हेतु अन्य प्रपत्रों को अपलोड कर सकता है तथा निर्धारित शुल्क जमा कर सकता है।

7. After completing the Application form, user shall be allowed to upload the required documents. All the documents has to be uploaded in pdf format except the photograph and signature, which is to be uploaded in jpg format. The maximum size of the documents, which can be uploaded, are clearly mentioned and make sure that your documents are within the specified size limits

आवेदन-पत्र पूर्ण करने के उपरान्त, आवेदक को सभी आवश्यक अभिलेख पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो व हस्ताक्षर 'jpg' फॉर्मेट में व अन्य सभी प्रपत्र 'pdf' फॉर्मेट में अपलोड होंगे। प्रत्येक आवेदन के साथ जिन प्रपत्रों की आवश्यकता होगी, उसकी सारणी आवेदक के डैशबोर्ड पर फाइल की अधिकतम साइज के साथ दिखाई देगी

। कृपया अपलोड किये जाने वाले प्रपत्रों की फाइल के फॉर्मेट तथा साइज का ध्यान रखें। आवेदक के पास डिजिटल सिग्नेचर होना आवश्यक है।

8. While depositing the Processing Fee select Treasury Head as 00390080005000 and G6 Head as 08. Please ensure that status of your challan is “Success” before you attach the Chalan with your application.
प्रोसेसिंग फीस जमा करने हेतु 00390080005000 कोषागार हेड व 08 G6 हेड का चयन करें तथा यह सुनिश्चित कर ले कि चलान SUCCESS की श्रेणी में है।
9. When Payment is done, the Application submission shall be treated as Complete and further departmental action shall be taken for processing of the Application. The current status shall be displayed on the Applicant’s Dashboard.
आवेदक द्वारा भुगतान करने के व सभी प्रपत्रों को अपलोड किये जाने के पश्चात आही आवेदन को पूर्ण माना जायेगा। आवेदन पूर्ण होने के पश्चात इसकी प्रोसेसिंग शुरू होगी तथा आवेदक को अपने डैशबोर्ड पर वर्तमान स्थिति दिखाई देती रहेगी।
10. When the Application Status becomes “Approved”, the applicant shall be allowed to record the Address and Ge-location of the Godown, which shall be verified by the concerned DEO.
आवेदन अप्रूव होने के पश्चात, आवेदक को अपने गोदाम का पता एवं उसकी जिओ-लोकेशन को भरना होगा जिसको सम्बंधित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।
11. After verification of DEO, Applicant has to submit the Security Fee and License Fee. The License Fee shall be submitted using the online payment link provided onto the portal and the processing shall be similar to that of Application Processing Fee. While the Security shall be submitted as FDR and the copy of the FDR has to be uploaded onto the portal in pdf format.
जिला आबकारी अधिकारी द्वारा गोदाम प्रमाणित होने के पश्चात आवेदक को लाइसेंस फीस का भुगतान चालन से व सिक्योरिटी FDR के रूप में जमा करनी होगी। FDR की स्कैन्ड कापी की pdf भी पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
12. After successful submission of the License Fee and Security, the Licence shall be digitally signed by the authority and a download link shall appear on the Applicant’s dashboard through which the License copy may be downloaded.
लाइसेंस फीस व सिक्योरिटी पूर्ण के बाद लाइसेंस को सक्षम अधिकारी द्वारा डिजिटली हस्ताक्षरित किया जायेगा तथा इस लाइसेंस को